भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,रत्नागिरी.

संयोजक - बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, शिवाजीनगर,रत्नागिरी,

---

छ्माही बैठक दि.27.04.2016 समय- दोपहर 3.30 बजे

स्थान- संमेलन कक्ष, न्युक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि,

कार्यवृत्त

प्रथम न्युक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि के श्री बाणे जी ने अध्यक्ष श्री वि.वि.बुचे, उप निदेशक डॉ सुनीता यादव, श्री शैलेश कुमार मालवीय, सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा) तथा सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया.

बैठक को प्रारंभ करने से पहले समिति के परंपरा के अनुसार प्रार्थना संपन्न हो गई और समिति की छ्माही पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु का विमोचन श्री डॉ सुनीता यादव, श्री वि.वि.बुचे तथा श्री शैलेश कुमार मालवीय के करकमलों से किया गया. सदस्य सचिव ने पत्रिका के अंतरंग को प्रस्तुत किया.

अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति से बैठक को प्रारंभ किया गया.

उपनिदेशक महोदया ने वर्तमान में ही उपनिदेशक मुंबई(प), कार्यान्वयन का कार्यभार संभाला है, इसलिए रत्नागिरी नराकास के गठन से पूरी जानकारी सदस्य सचिव रमेश गायकवाड ने अवगत कर दी.

विषय - 1 - सदस्य सचिव ने अपनी प्रस्तावना के बाद पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और सदस्यों ने कार्यवृत्त की पुष्टि की.

कृत कार्रवाई- 1. राजभाषा रत्नसिंधु पत्रिका का प्रकाशन- आज ही 7 वें अंक का विमोचन किया गया. पत्रिका का प्रकाशन निरंतर रखा जायेगा तथा यह पत्रिका नियमित रूप से विविधताओं से प्रकाशित की जाएगी.

2. अंशदान राशि - सदस्य सचिव ने बताया कि, समिति के खाते में दि.20/04/2016 रु.74909.23 बकाया शेष है और बहुत से सदस्य कार्यालय से अंशदान राशि प्राप्त होनी है. इसके लिये समिति द्वारा पत्रों से, फोन पर संपर्क करके अनुवर्ती कार्रवाई की गई है.

3. कोर कमेटी का दौरा- सदस्य सचिव ने बताया कि, दि. 02 मार्च 2016 को कोर कमेटी ने 18 सदस्य कार्यालयों का दौरा किया, जिसमें अधिकतर अंशदान राशि जमा नहीं की है ऐसे कार्यालय थे,साथ में इस कार्यालय में युनिकोड अपलोड करना तथा आंतरिक कामकाज में आनेवाली कठिणाईयों पर चर्चा की गई.

4. कार्यशाला का आयोजन - सदस्य कार्योलयों के लिए एक कार्यालयों का आयोजन करना था. बैंक ऑफ इंडिया ने आंतरिक कामकाज, तिमाही रिपोर्ट कैसा भरना है, राकास समितियों का गठन, कार्यालय में युनिकोड अपलोड करना, हिंदी में ईमेल भेजना आदि पर प्रशिक्षण दिया गया.

5. तिमाही रिपोर्ट समय पर भेजना - बहुत से कार्यालय वर्तमान में तिमाही रिपोर्ट समय पर भेज रही है. उसके लिए पत्र तथा फोन पर संपर्क किया जाता है. इस समय केवल 5 कार्यालयों से प्राप्त होना है.

नराकास रत्नागिरी

6. राजभाषा संपर्क अधिकारी का नामांकन - इस मद पर समिति ने निरंतर फालोअप किया गया लेकिन इस विषय को लेकर सदस्य कार्यालयों का जिस तरह प्रतिसाद होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, कुछ कार्यालयों ने जानकारी भेजी है और उपस्थित सदस्य कार्यालय को अनुरोध कि, वे इस पर तुरंत कार्रवाई करके समिति को सूचित करें.

7. कार्यालय प्रमुखों की अनुपस्थिति- इस पर समिति ने तुरंत कार्रवाई करके अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से अर्धशासकीय पत्र भेजे थे उसकी प्रतिलिपि उनके नियंत्रणाधीन कार्यालय को भी भेजी थी.

इसके बाद सदस्य सचिव ने उपनिदेशक महोदया डॉ सुनीता यादव को सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टो की समीक्षा तथा संबोधन के लिए अनुरोध किया.

विषय-2 तिमाही रिपोर्टो की समीक्षा तथा उपनिदेशक महोदया का संबोधन

उपनिदेशक महोदया ने प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार समीक्षा के लिए प्रारंभ करने से पहले रत्नागिरी नराकास के बारे में कहां कि, इस समिति को 12 साल पुरे हो गये यह जानकर मुझे खुशी हो गई और आज जो बैठक हो रही है इसी तिथि समिति की प्रथम बैठक 27 अप्रैल 2004 को संपन्न हो गयी थी, यह भी मेरे लिए संस्मरणीय दिन है. समिति के कार्य को देखा जाएं तो समिति बहुत ही सही तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद समिति और भी बेहत्तर काम करेगी.

सदस्य कार्यालयों ने जो आंकडे भेजे है, उसमें प्रस्तुतिकरण में सुधार की आवश्यकता है. 37 कार्यालयों में से 32 कार्यालयों ने तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं वे तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजे, जिससे समेकन का कार्य आसानी से हो सकता है. रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकडों को देखकर उन्होंने कहां कि, आंकडे प्रस्तुति में सुधार आवश्यक है. धारा 3/3 में अंतर्गत आनेवाले सभी 14 कागजात द्विभाषा (इसकी सूची अलग से परिशिष्ट-2 में दी है) में जारी होने आवश्यक है. हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना है. वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार कार्यान्वयन होना आवश्यक है. बेहत्तर कार्यान्वयन के लिए युनिकोड के प्रयोग से हिंदी में ईमेल भेजे, मूल रूप से हिंदी में छोटे-छोटे पत्र बनाकर नेमी कार्य में प्रयोग करें जिससे हम अपने लक्ष्य को पार कर सकें. हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है. तकनीकी शब्दों का लिप्यांतरण करके सहज व सरल भाषा को कठीण न बनाएं.

समिति द्वारा इस पर ध्यान दें.

1. **100% सदस्य कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति.**
2. **100% सदस्य कार्यालयों के तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति.**
3. **बैठकों का केलेंडर के अनुसार आयोजन**
4. **7 दिन के अंदर कार्यवृत्त नराकास के वेब पर अपलोड होना.**
5. **कितने समारोहों का आयोजन किया गया है और किस तरह के इसमें स्थानीय या राष्ट्रीय**
6. **सेमिनार का आयोजन** आदि. (यह मद पुरस्कार प्राप्ति के कुछ मापदंड भी है.)

विषय 3 - नराकास की गतिविधियों को तेजी लाने के लिये इस बैठक में रखें कुछ सुझाव / निर्णय

1. संपादन मंडल का गठन - अगली पत्रिका संपादित करते समय सदस्य कार्यालय के प्रतिनिधि पत्रिका के संपादन में सहयोग करेंगें 1.न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन 2.एलआईसी 3.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.आकाशवाणी

2. कोर कमेटी का पुनर्गठन - कोर कमेटी के 1 सदस्य ने इस्तीफा दिया है तथा 1 सदस्य अगस्त में सेवा निवृत्त हो रहे है इसी वजह से 1. बैंक ऑफ बडोदा के श्री नितिराज सिंह 2. युनियन बैंक के श्री आलेख सिन्हा को नामित करना.

नराकास रत्नागिरी
TOLIC RATNAGIRI

3. प्रतियोगिताओं को आयोजन - हिंदी दिवस के सुअवसर पर हिंदी सप्ताह मनाना. प्रतियोगिताओं का आयोजन इस प्रकार रहेगा. 1.आकाशवाणी- काव्य वाचन 2.एलआईसी -आशुभाषण 3.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - निबंध प्रतियोगिता 4.कोंकण रेलवे -प्रश्नमंजुषा 5.सीमा शुल्क - कार्यशाला

4. बाहरी संस्थानों जैसे कि, स्कूल, कालेज तथा समाजसेवी संस्था में समिति की ओर से समारोह का आयोजन.

5. वेबसाइट बनाना - हमारी समिति की एक वेबसाइट बनाएं ताकि समिति के सदस्य कार्यालयों को अपडेट जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएं.

<u>7. कार्यालयीन प्रमुखों की उपस्थिति -</u> बैठकों की सूचना समय पर पाकर भी बहुत से कार्यालय प्रमुख इस बैठक में उपस्थित नहीं है उन कार्यालय प्रमुखों को अर्धशासकीय पत्र भेजे और उसकी प्रति उनके शीर्ष कार्यालय तथा उपनिदेशक कार्यालय को भेजने के निर्देश उप निदेशक डॉ सुनीता यादव ने दिये.

<u>अध्यक्षीय संबोधन</u>

अध्यक्ष महोदय श्री वि.वि.बुचे जी ने अपने संबोधन में कहा कि, प्रथम सदस्य सचिव द्वारा कुछ नये प्रस्ताव रखें है, उसे समिति की ओर से अनुमोदन प्रदान करते है, जो समिति को प्रगति के ओर लेकर जानेवाले है. मै यह भी सूचित करना चाहता हूं कि, **इस छमाही में एक कार्यशाला का भी आयोजन करें ताकि तिमाही रिपोर्टस,आंतरिक कामकाज, हिंदी ईमेल भेजना, युनिकोड डाउनलोड/अपलोड करना आदि पर विशेष ध्यान दे. उपनिदेशक महोदया द्वारा पुरस्कार हेतु जो कुछ मापदंड दिये है, उसे नजरअंदाज न करें.**

हमारी समिति हिंदी के प्रचार - प्रसार हेतु धीरे-धीरे गति प्राप्त कर रही है. समिति का कोई भी कार्य तभी सफल होगा जब सभी सदस्य कार्यालयों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा. हम सभी मिलकर अधिक से अधिक हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास करेंगे. **राजभाषा रत्नसिंधु** पत्रिका के लिए हमारे घरेलू आलेखकार , कवि तथा साहित्यकारों का सहभाग होना आवश्यक है. हमारी पत्रिका का विषय चयन - प्रस्तुति ठीक है, उसमें और भी विविधता हम ला सकते है, ताकि पाठकों में पढ़ने की रूचि निर्माण हो और पत्रिका संग्रहनीय बने. यदि हमारे समिति को अग्रसर रखना हो तो प्रथमत: सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की बैठकों में उपस्थिति, इसके बाद रिपोर्टो का सही प्रस्तुतिकरण तथा प्रतियोगिताओं/समारोहों का आयोजन, आंतरिक कामकाजों में राजभाषा का प्रगामी प्रयोग, वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार दिये गये लक्ष्यों को पाना यह महत्वपूर्ण है.
सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में हमारे समिति की वेबसाईट होना आवश्यक है, जिससे हमारे समिति को तथा समिति के हरएक सदस्य कार्यालयों को एक अलग-सा मंच उपलब्ध होगा. आप सभी सदस्य कार्यालयों का इस कार्य में बडा योगदान आवश्यक है. मैं समिति को अनुरोध करता हूं कि, यह कार्य अगले बैठक तक पूरा करें और समिति को गौरवान्वित करें. सभी को मेरे ओर से मंगल कामनाएं, धन्यवाद।

कोर कमेटी सदस्य श्री सतीश रानडे ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और अन्य विषय न होने पर अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति के साथ बैठक समाप्ती की घोषणा की गई.

सदस्य सचिव
दि.27/04/2015

अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

रत्नागिरी RATNAGIRI

परिशिष्ट- 1

उपस्थित कार्यालय प्रतिनिधियों की सूची

सं.	नाम	संस्थान का नाम
1	श्री वि.वि. बुचे	अध्यक्ष, एवं उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया
2	डॉ सुनीता यादव	उप निदेशक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
3	श्री शैलेश कुमार मालवीय	सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय
4	श्री रातीश भाटिया	सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय
5	श्री बी.बी. निकम	क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, कोंकण रेल्वे.
6	श्री शिरिष कुमार कुन्दे	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मण्डल, रत्नागिरी
7	श्री प्रशांत पाटील	उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर,
8	श्री दीपक चव्हाण	मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा
9	श्री जी एस राणे	सहा. अधिक्षक, डाक विभाग
10	श्री महेंद्र पाटणकर	वरिष्ठ तंत्रज्ञ, दूरदर्शन केंद्र, रत्नागिरी
11	श्री किरण पांडूरंग खटावकर	वरिष्ठ मंडल प्रबंधक दि न्यु इंडिया एश्युरन्स कं
12	श्री गोपाल र जोशी	सहायक शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम
13	श्री सागर मेश्राम	प्रबंधक, देना बैंक
14	श्रीमती उषा हटवार	प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक
15	श्रीमती मनिषा मटकर	शाखा प्रबंधक केनरा बैंक
16	श्री राजेश कुमार	शाखा प्रबंधक ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
17	श्री मुकेश चंद्र ठाकूर	आयकर अधिकारी, आयकर कार्यालय
18	श्री जी एम खान	वरिष्ठ प्रबंधक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
19	श्री धनेश्वर पवार	प्रबंधक, आंधा बैंक
20	श्री कृष्णा लंबानी	उप मुख्य राजभाषा अधिकारी कोंकण रेल्वे.
21	श्री आई यु पठाण	वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल इंश्युरन्स कं लि
22	श्री अमोघ गर्दे	वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल बैंक
23	श्री बाळासाहेब जाधव	शाखा प्रबंधक, युको बैंक
24	श्री गजानन करमरकर	डाक सहायक, डाक विभाग
25	श्री सी.एस.मयेकर	वरिष्ठ सहायक, सेंट्रल एक्साइज
26	श्री डी एस ब्रम्हपुरीकर	प्रबंधक, इंडियन बैंक
27	श्री अे डी कोली	प्रबंधक, युनायटेड इंडिया एश्योरेन्स कं.
28	श्री दीशान री खान	सहायक प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक
29	श्री नितीराज सिंह	अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा
30	श्री आलेख सिन्हा	अधिकारी, सहायक प्रबंधक, युनियन बैंक
31	श्री मो. नदीम	स्टेनो, भारतीय तटरक्षक अवस्थान
32	श्री चन्द्रकांत कुमार	लिपिक, भारतीय तटरक्षक अवस्थान
33	श्री विनय परांजपे	शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्येारंस कं. लि
34	श्री बाबलो हरिश्चंद्र नाईक	अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक
35	श्री सुधाकर पालदेवार	जिला समन्वयक, भास्टेट बैंक
36	श्री मंगेश कदम	सहा. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ हैद्राबाद
37	श्रीमती वर्षा कांबले	कर सहायक, सीमा शुल्क
38	श्री सतीश रानडे	शाखा प्रबंधक, दि न्यु इंडिया एश्युरन्स कं, कोर कमेटी सदस्य
39	श्री लक्ष्मीकांत भाटकर	निरीक्षक, सीमा शुल्क मंडल, कोर कमेटी सदस्य
40	श्री जनार्दन शिंदे	कोंकण रेल्वे, कोर कमेटी सदस्य
41	श्री रमेश गायकवाड	सदस्य सचिव, नराकास
42	श्री प्रदीप कुमार कुक्कड	प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय.
43	श्री राहूल काशिद	अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

नराकास रत्नागिरी * TOLIC RATNAGIRI *

परिशिष्ट- 2

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषा में ही जारी करना है.

संकल्प	नियम	करार
साधारण आदेश	अधिसूचना	अनुज्ञप्ति
परिपत्र	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	अनुज्ञापत्र
परिपत्रक	प्रेस विज्ञप्ति	सूचना और निविदा प्रारूप
कार्यालय आदेश	संविदा	